राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/5/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021–22/ 1791 दिनांकः 20/01/2022

–: आदेश :–

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(37)राज–1/ 2018 पार्ट दिनांक 24.11.2021 के क्रम में राजस्व मण्डल द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 1.4.17 की वरिष्ठता सूची एवं समय–समय पर इसमें हुए संशोधन की स्थिति में वर्तमान में प्रभावी वरिष्ठता सूची के आधार पर 455 वरिष्ठतम भू–अभिलेख निरीक्षकों को राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 5369 दिनांक 15.9.2021 के द्वारा नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में पदस्थापित किया गया था। तत्समय इनके विरूद्ध जांच/दण्ड इत्यादि की सूचनाएं नहीं देखी गयी थी। किन्तु संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर, के पत्र कमांक प. 2(37)राज–1/2018 पार्ट दिनांक 24.11.21 एवं क्रमांक प.2(19)राज–1/2017 दिनांक 20.12.21 में भू–अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु विभागीय जांच/दण्ड /फोजदारी प्रकरण इत्यादि का परीक्षण करने के निर्देश है। जिस क्रम में पूर्व में कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित इन 455 वरिष्ठतम भू–अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु इनके विरूद्ध जांच/दण्ड एवं अपराधिक/एसबी प्रकरणों इत्यादि के दृष्टिगत इनके प्रकरण को रिव्यू किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.21 को आयोजित की गई।

स्क्रीनिंग कमेटी के आयोजन के समय श्री रामप्रसाद भू–अभिलेख निरीक्षक की विभागीय जांच/दण्ड इत्यादि की सूचना अप्राप्त होने एवं उप–निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्री इन्द्राज बारूपाल व रामावतार मीणा भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध जांच व श्रीमति कनिजा, श्री लाल शंकर एवं श्री जगदीश सिंह भू–अभिलेख निरीक्षक का कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर फोरगो किया जाना दर्शाये जाने के कारण इनके कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने सम्बंधी आदेश जारी नहीं किये गये।

उप–निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल से प्राप्त सूचना दिनांक 13.01.2022 के अनुसार श्री रामप्रसाद भू–अभिलेख निरीक्षक की विभागीय जांच/दण्ड इत्यादि की सूचना प्राप्त हो चुकी है। साथ ही श्री इन्द्राज बारूपाल व रामावतार मीणा भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध दर्शाये गयी जांच के सम्बंध में प्रेषित संशोधित सूचना अनुसार इनके विरूद्ध वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन है। श्रीमति कनिजा, श्री लाल शंकर एवं श्री जगदीश सिंह भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी फोरगो नहीं किया जाना दर्शाया है।

स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन भू–अभिलेख निरीक्षकों की सूचना अप्राप्त है, के क्रम में इनकी सूचना प्राप्त होने एवं प्राप्त सूचना में कोई प्रतिकुल/विपरीत टिप्पणी नहीं होने की शर्त पर इनको कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने की सिफारिश की है। साथ ही उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों के वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं होने के कारण निम्नांकित भू–अभिलेख निरीक्षकों को कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नायब तहसीलदार के पद पर यथावत कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित रखे जाने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :–

NTSP AREA				
S.NO.	**ELG NO.**	**SN.N.**	**NAME ILR**	**FATHER NAME**
1	48	976	RAMPRASAD	CHHOGALAL
2	204	1318	KANIZA	HIFZURRAHMAN
3	250	1364	LALSHANKAR	AMARJI
4	263	1377	INDRAJ BARUPAL	BHADAR RAM
5	327	1442	RAMAVTAR MEENA	GHANSI LAL
6	345	1460	JAGDISH SINGH	VIKRAM SINGH

Scanned with CamScanner

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तो के अध्ययधीन रहेगा :–

1– दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल एवं केवल मात्र उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी भू–अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष करेगा।

2– उक्त स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई भू–अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

3– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू–अभिलेख निरीक्षक उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4– उक्त कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मूल रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेगे तथा भू–अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और नहीं किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5– स्क्रीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट/अभिशंषा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और भू–अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी भू–अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

6– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र भू–अभिलेख निरीक्षको को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र भू–अभिलेख निरीक्षक इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग /संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7– उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों को वेतन नायब तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा। इन भू–अभिलेख निरीक्षको के कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हो जाने से भू–अभिलेख निरीक्षक के पद को रिक्त माना जायेगा।

8– उक्त भू–अभिलेख निरीक्षक यदि कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते है, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर /कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– स्क्रीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्क्रीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी भू–अभिलेख निरीक्षक के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत /मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

20/1/22

(डॉ. मोहन लाल यादव)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

Scanned with CamScanner

क्रमांक: सम / 1792–1860 दिनांक: 20/01/2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।

2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।

3– विशिष्ठ सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।

4– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।

4– आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।

5– आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।

6– संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।

7– जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।

8– प्रभारी अधिकारी (गोपनीय / वि.जांच / प्रशासन / कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।

9– . . . .

10– सम्बंधित. . . . .

11– आदेश पंजिका / निजी पत्रावली ।

(भंवर सिंह सान्दू)
अतिरिक्त निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

Scanned with CamScanner